राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1344/2013/उदयपुर
मैसर्स मारूति एण्टरप्राइजेज
उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग,उदयपुर
2.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय,वृत–सी,उदयपुर — प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री ओ.पी.सैनी, अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 24.06.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारीं ने उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 22/13–14/कर/उपा(प्र)उदय/ में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.05.2013 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि 2010–11 से सम्बन्धित वैट–57 पेश किया और दिनांक 07.01.2013 को उनके द्वारा पत्रावली व पंजीयन निरस्त करने का आवेदन किया गया अैर वर्ष 2010–11 में कोई खरीद बिक्री नहीं होने का एक पत्र पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने फर्म के भागीदार श्री रंजीत पोद्दार को सूचित किया वे सात दिवस के भीतर रू. 10.00 के शपथ पत्र पर अपना पक्ष रखे तथा अनुपयोगित घोषणा पत्र सी पुनः विभाग को लौटाये। श्री पोद्दार से सी फार्म खो जाने की बात कही, जिस पर एफ आई आर की प्रति एवं विधि सम्मत बन्धक पत्र पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्यवाही की पालना में व्यवसायी द्वारा कोई पूर्ति नहीं की गई इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि उसके द्वारा सी फार्म पर अघोषित खरीद की जा चुकी है,जिसका वाद बनाया जाकर व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में ना तो कोई जवाब प्रस्तुत किया गया और ना ही कोई उपस्थित हुआ, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने एक पक्षीय आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.02.2013 को पारित करते हुए रू. 14,42,100/–की मांग कायम की गई। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई ?

का समुचित अवसर प्रदान किये उक्त कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है, अतः प्रकरण रि–ओपन कर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृत प्रदान करने का निवेदन करते हुए अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने दोना पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपीलार्थी व्यवसायी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया । अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2013 से क्षुब्ध होकर व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.02.2013 को पारित करते हुए रू. 14,42,100/–की मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है,जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस तामील कराये ही कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलें स्वीकार कर प्रकरण रि–ओपन करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 07.01.2013 को उनके पंजीयन निरस्त करने का आवेदन किया गया अैर वर्ष 2010–11 में कोई खरीद बिक्री नहीं होने का एक पत्र पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने फर्म के भागीदार श्री रंजीत पोद्दार को सूचित किया वे सात दिवस के भीतर रू.10.00 के शपथ पत्र पर अपना पक्ष रखें तथा अनुपयोगित घोषणा पत्र सी पुनः विभाग को लौटाये। श्री पोद्दार से सी फार्म खो जाने की बात कही, जिस पर एफ आई आर की प्रति एवं विधि सम्मत बन्धक पत्र पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। उनका कथन है कि उक्त निर्देशों की पालना में ना तो अनुपयोगित घोषणा पत्र लौटाये गये और ना ही एफ आई आर की प्रति पेश की गई। उनका कथन है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नही करने के कारण, कर निर्धारण अधिकारी ने नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और कोई उपस्थित हुआ, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.02.2013 पारित कर मांग सृजित की है,जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित

अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश पत्रक दिनांक 07.01.2013 को अंकित किा है कि "उनके द्वारा पत्रावली व पंजीयन निरस्त करने का आवेदन किया गया अैर वर्ष 2010–11 में कोई खरीद बिक्री नहीं होने का एक पत्र पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने फर्म के भागीदार श्री रंजीत पोद्दार को सूचित किया वे सात दिवस के भीतर रू. 10.00 के शपथ पत्र पर अपना पक्ष रखे तथा अनुपयोगित घोषणा पत्र सी पुनः विभाग को लौटाये....।" किन्तु ऐसा कोई पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिसके उक्त तथ्यों सत्यापन हो सके।

विभाग का कहना है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस ई–मेल के द्वारा व्यवहारी को भेजा गया है। अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन है कि उसे नोटिस तामील नहीं कराया गया है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान कर, उसे सुनने के पश्चात दो माह में पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के पश्चात एक माह के भीतर स्वतः कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष मय रिकार्ड उपस्थित होकर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें। यदि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष मय रिकार्ड उपस्थित नहीं होता है, तो पूर्व में पारित कर निर्धारण आदेश यथावत रहेंगे।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश एवं कर निर्धारण आदेश को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(ओ.पी.सैनी)
अध्यक्ष